

विधान परिषद के प्रथम सत्र-2025 के द्वितीय सोमवार हेतु निर्धारित डा0 मान सिंह यादव, मा0
सदस्य, विधान परिषद के अतारांकित प्रश्न सं0-21 का उत्तरालेख

प्रश्न

उत्तर

21(क) क्या अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री बतायेंगे कि ग्राम पंचायत-भखौवापुर, चंदौली, ढकोलिया, मजरे-धर्मदासपुर, विकास खण्ड-जगतपुर, तहसील-ऊँचाहार, जनपद रायबरेली जो कि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अन्तर्गत है कि निवासियों को सोलर लाइट/सौर ऊर्जा के अन्तर्गत सोलर लाइट दिलाये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक-23 जनवरी, 2025, जो कि प्रमुख सचिव मुख्य मंत्री जी, को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है?

जी हाँ।

(ख) यदि हाँ, तो पत्र में इंगित व्यक्तियों के घर के सामने सोलर लाइट/सौर ऊर्जा लाइट लगा दिया गया है?

जी नहीं।

(ग) यदि नहीं, तो कब तक उक्त पत्र में इंगित सभी व्यक्तियों के घर के सामने सोलर लाइट/सौर ऊर्जा लगा दिये जायेंगे?

प्रदेश के प्रत्येक जनपद में बाबू जी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना के अन्तर्गत 20 ग्राम पंचायतों में 10-10 लाइटों अर्थात् कुल 200 सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना कराई जाती है। ग्रामों का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाता है। उक्त योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों की सड़कों पर सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना यूपीनेडा के माध्यम से शतप्रतिशत राज्य वित्त पोषण से करायी जाती है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना के अन्तर्गत जनपद रायबरेली में लक्षित

सोलर स्ट्रीट लाइटों के अधिष्ठापन की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। आगामी वित्तीय वर्ष में संदर्भित ग्रामों में सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना उनके नियमानुसार चयन एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होगा।

वर्तमान में जिला योजना - राज्यानुदान (प्रोजेक्ट मोड) के अन्तर्गत सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना हेतु राज्यानुदान उपलब्ध है। इस योजना के अन्तर्गत प्रति संयंत्र अनुमन्य राज्यानुदान रु. 7100/-के अतिरिक्त संयंत्र मूल्य की अवशेष धनराशि मा० जन-प्रतिनिधियों की क्षेत्र विकास निधियों/क्षेत्र पंचायत/ग्राम पंचायतों की निधियों द्वारा लाभार्थी संस्था के रूप में वहन की जाती है।

लाभार्थी संस्था के रूप में उपरोक्त निधियों से यूपीनेडा को वॉछित धनराशि उपलब्ध कराये जाने पर उक्त पत्र में इंगित व्यक्तियों के घर के सामने सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना करायी जा सकती है।

(घ) यदि हों, तो कब तक?

उपरोक्तानुसार।

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों?

प्रश्न नहीं उठता।

ए० के० शर्मा
मंत्री,
अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग।